उनवानी प्रकरणः– हरिमोहन बनाम रामस्वरूप वगै0

मु.न.:– 06/2024

कि0मु0:– प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	16.07.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा जबावुल जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 976/210 रकबा 03–06 बीघा भूमि वांके ग्राम पाली का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 976/210 रकबा 03–06 बीघा भूमि में प्रार्थी 50 वर्षो से हिस्से 1/2 भाग पर कब्जे काश्त करता चला आ रहा हूॅ। अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त भूमि हिस्सा 1/2 भाग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् पाबन्द फरमाया जावें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, बहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होना अंकित है। जमाबन्दी सम्बत् 2076–2079 खाता संख्या 390 में प्रार्थीएक मात्र खातेदार काश्त घोषित है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है कि जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न होना प्रतित होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील वादपत्र के साथ संलग्न हों । [signature] उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स0 मा0)	